

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर

पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा-2025

शिविर- चौथ का बरवाड़ा

प्रकरण संख्या- 170/2025

दिनांक- 4/7/2025

श्री कैलाश पुत्र  
रहन

उपनाम

बनाम

सरकार जारिये तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर



:: आदेश ::

प्रार्थी के खाला दुरुस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न बस्ताबैज, पटवारी हल्का मांकेरा भू अ. नि. मांकेरा एवं तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट/अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम मांकेरा पं० ह० मांकेरा की वर्तमान स्थायी जमाबन्दी के खाता संख्या 11 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	अशुद्ध प्रविष्टि का प्रकार (नाम/पिता का नाम/जाति/ग्राम का नाम/रहन आदि)	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	शुद्ध प्रविष्टि, जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।
	<u>रहन</u>	<u>कैलाश पुत्र</u> <u>रहन SBBJ</u> <u>शाखा चौथ का बरवाड़ा</u>	<u>कैलाश पुत्र</u> <u>रहन SBI</u> <u>शाखा चौथ का बरवाड़ा</u>

प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर को भेजकर लेखे हैं कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत करें।
2. प्रार्थी श्री कैलाश पुत्र कल्याण
3. संकेत पत्रावली।



उपखण्ड अधिकारी  
**उपखण्ड अधिकारी**  
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

उपखण्ड अधिकारी  
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)